अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 142/2012

रामेश्वर सिंह, प्रखंड–अमनौर

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढ़ौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3573 दिनांक 31.10.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि मो० राशिद आलम, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना एवं मिथिलेश कुमार सिन्हा पणन पदाधिकारी मुख्यालय (सचिवालय) पटना के द्वारा संयुक्त रूप से विभागीय पत्रांक 3972 दिनांक 27.06.2012 के आलोक में दिनांक 04.09.2012 को जन वितरण विक्रेता श्री रमेश्वर सिंह–01, अनुज्ञप्ति सं०–108/2007, पंचयत–धरहरा खूर्द, प्रखंड– अमनौर, जिला–सारण के व्यापार स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कम में निम्नवत् अनियमितताए पाई गई– 1. विक्रेता के द्वारा निरीक्षण/शिकायत पुस्तिका संधारित नही किया जाता है। 2. विक्रेता के द्वारा राशन/किरासन उठाव की सूचना निगरानी/अनुश्रवण समिति सदस्यों को नही दिया जाता है और नही भंडार का सत्यापन कराया जाता है तथा समिति सदस्यों के देख–रेख में वितरण भी नहीं कराया जाता है। 3. विक्रेता की दूकान से संवद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है उन्हे जन वितरण से संबंधित सामग्रियों के वितरण में अधिक मूल्य लिया जाता है तथा अन्त्योदय योजना में कम मात्रा में अनाज की आपूर्ति की जाती है। 4. विक्रेता की दूकान के भंडार में 14.25 लीटर किरासन तेल कम	

पाया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 2980/गो0, दिनांक 15.09.2012 से विक्रेता से उक्त अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पा कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के 3573 दिनांक 31.10.2012 से विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। दिनांक 27.12.2013 को विक्रेता की दूकन की जॉच अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा के द्वारा स्वंय की गई थी, जिसमें विक्रेता उपस्थित थे एवं उनकी दूकान खुली हुई थी। अतः प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मढ़ौरा के द्वारा लगाया गया यह आरोप कि जॉच की तिथि को विक्रेता की दूकान बन्द थी सरासर गलत है। विक्रेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामग्री का वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय मार्ग दर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 3573 दिनांक 31.10.2012) मे कई त्रुटियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में कही भी आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं का नाम अंकित नही किया गया है। इस तरह कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान/शिकायत की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, जो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से अपेक्षित था। विक्रेता से प्राप्त जवाब में यदि कोई कमी पाई गई या विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में कोई त्रुटि पाई गई, तो यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता से द्वितीय कारण पृच्छा किया जाता, लेकिन अनुज्ञापन

पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पा कर निरस्त करते हुए, यह वाद इस निर्देश के साथ अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा को **रिमांड** किया जाता है कि वे विकेता से पुनः चिन्हित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछे, शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं से संबंधित पूर्ण विवरणी उन्हें उपलब्ध कराई जाए, अपने स्तर से सुनवाई की जाए एवं आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विधिसम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1345 /दिनांक 15/01/16/

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।
15/1/16